

FORM NO. III

**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

अदालत S.C.O. मुकाम बनेडा  
जोपाल पिता देवी गाडरी बनाम श्रीमती हेजा पोट देवी गाडरी (पतिव्रता)  
 न मुकदमा 212 DTA नं. 154 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जब	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

28-07-2021

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खसरा संख्या 5532 रकबा 1.0749 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें प्रार्थी द्वारा एक पक्षीय बहस कि गई प्रार्थी द्वारा बहस सुनी गई।

अतः उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत नही हो तब तक इस आशय सें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाकर विपक्षी गणों को पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात पर राजस्व रेकार्ड कि यथा स्थिति बनायें रखें जाने का आदेश दिया जाता है एवं उक्त प्रकरण में मोके की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार बनेडा को कमीशनर नियुक्त करके पक्षकारान को सूचित कर मोके की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतू पत्र लिखा जावे पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12-8-2021 को पेश ।

15560

उपखण्ड अधिकारी

बनेडा जिला



12.8.21

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पितादेवी  
 अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें  
 हैं/ अन्य राजकार्य में व्यस्त है/ अतः अवकाश  
 पत्रावली सापेक्ष आदेश दिनांक 28/10/21 पेश हो।  
अज्ञान कादम दिनांक 28.10.21 (रकब काय)  
जाता है आज्ञा से

18/8/22  
18/9/22

1202  
281

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इन्फॉर्मेटिव कब	नम्बर व अहकाम हुकम में जा
3/9/22	<p>राष्ट्रीय लोक अदालत दि. 12/8/22 के अन्तर्गत Preliminary phase में दौरान समझौता वही जायक पिता वही ने माथना पत्र का अंग्रेजी पत्रान से इसदमति जताई व Note प्रक करान की इच्छा जाहिर कि की । इतः प्रावली Note प्रक की जाकर फेसल 20 माह हो नम्बर से कम होकर वरिष्ठ वर्ग हो वही से इसदमति कर सहमत बहान करी</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	गी